Hobbes's Doctrine of Sovereignty

हॉब्स द्वारा प्रतिपादित सम्प्रभुता का सिद्धान्त उसके सामाजिक समझौते के सिद्धान्त से प्रभावित है। समझौते से स्थापित सम्प्रभु सर्वोच्च सत्तासम्पन्न और निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश कानून और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। उसे जनता के जीवन को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार प्राप्त है तथा जनता को किसी भी प्रकार से चुनौती देने का या उसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हॉब्स का कहना है कि जनता का एकमात्र कार्य सम्प्रभु के आदेशों का पालन करना है चाहे वे आदेश ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों न हो, जनता के लिए उसका पालन करना ही न्यायपूर्ण और वैध है। हॉब्स समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी है जो सम्प्रभु की शक्ति को सीमित करने का प्रयास करती है।

सेबाइन का कथन है कि "हॉब्स ने सम्प्रभुता को समस्त असंगतताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया, जिन्हें बोदां (Bodin) ने अनावश्यक रूप से बनाये रखा था।" बोदां को वैध सम्प्रभुता का जनक माना जाता है। किन्तु Bodin की सम्प्रभुता असीमित तथा निरपेक्ष नहीं है। उस पर दैवी बन्धन, प्राकृतिक बंधन तथा संवैधानिक बन्धन है। Bodin ने सम्प्रभुता के ऊपर जो मर्यादाएँ आरोपित कर रखी थी, Hobbes ने उसे उनसे बिल्कुल मुक्त कर दिया। Harmon ने ठीक ही कहा है कि "हॉब्स का सम्प्रभु बोदां के सम्प्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है।"

इसी प्रकार हॉब्स की सम्प्रभुता की धारणा असीमित सम्प्रभुता की धारणा है। अतः राज्य के समस्त शासन संचालन में सम्प्रभु सर्वोच्च है। वही विधि निर्माता है, विधि को लागू करनेवाला है तथा वही मुख्य न्यायाधीश है। हॉब्स शक्ति के पृथक्करण में विश्वास नहीं करता। उसका सम्प्रभु धरती पर ईश्वर की तरह शक्तिशाली है। दैविक और लौकिक शक्तियों का एकमात्र अधिष्ठाता है। राज्य का सम्पूर्ण प्रशासनिक वर्ग उसके द्वारा नियुक्त होता है।

Scanned with CamScanner

और अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होता है। वही उसे अपने पद से हटा सकता है। यही नहीं, राज्य के द्वारा प्रदान किये जानेवाले सभी सम्मान व उपाधियों का प्रदानकर्ता भी वही है। सभी समस्याओं के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी उसे ही प्राप्त है। अतः हॉब्स के सम्प्रभु के राज्य में व्यक्ति को न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और न उसमें उसकी व्यवस्था ही है। सम्प्रभु के आदेशों का पालन करने के अतिरिक्त नागरिकों को और किसी प्रकार का अधिकार नहीं है।

यद्यपि हॉब्स निरपेक्ष सम्प्रभुता का पोषक है, तथापि उसने निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की है:
प्रथम, आर्थिक अनुबन्ध का - प्रत्येक व्यक्ति को वस्तु की खरीद - बिक्री की स्वतंत्रता है।
द्वितीय, प्रत्येक व्यक्ति अपना निवास स्थान, भोजन तथा जीविका की व्यवस्था करने का अधिकार है।
तृतीय, मनुष्य अपनी सन्तान को अपनी इच्छानुसार शिक्षा दे। इस प्रकार जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सम्प्रभु का प्रवेश नहीं है। हॉब्स सम्प्रभुता का उग्र पोषक होते हुए भी चार ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्रजा सम्प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है।

~~इस प्रकार हॉब्स की विचारधारा के अनुसार सम्प्रभु की अवज्ञा का एक-मात्र कारण व्यक्ति की सुरक्षा के लिए राज्य का असमर्थ होना है~~

संक्षेप में, हॉब्स का सम्प्रभु सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान है। वह निरंकुश है, वह अविभाज्य है। संक्षेप में, हॉब्स का सम्प्रभु अदेय है, राज्य और समाज की समस्त सत्ता सम्प्रभु में निहित है।

Scanned with CamScanner